न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—2025 / 10

दर्ज तिथिः—14.02.2025

1. सोमी देवी पत्नी सोनाराम
   जाति विश्नोई निवासी गुणेशाणियों की ढाणी, पटवार धोरीमना, तहसील धोरीमन्ना।

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार धोरीमन्ना

.........................असल विप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री ओमप्रकाश विश्नोई
अप्रार्थीगणः—एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—27.05.2025

प्रार्थना—पत्र

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीया द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा —131,136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 999 / 814 / 21.9339 है0 मौजा गुणेशाणियों की ढाणी,पटवार हल्का धोरीमना, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। प्रार्थीनी ने दिनांक 23.08. 2008 को खेत खसरा संख्या 999 / 814 [illegible] 5—10 बीघा भूमि में से खातेदार प्रहलादराम पुत्र भीयाराम से उसके पैतृक [illegible] रसे [illegible] / 16 यानि 25—04 बीघा में से 232 / 1355 हिस्सा यानि 23—04 बीघा भूमि पु[illegible] संख्या 1 जिल्द संख्या 151 के पृष्ठ संख्या 118 में क्रम संख्या 2008061318 [illegible] निष्पादित [illegible] किया तथा उसी अनुसार पारित नामान्तिकरण अनुसार [illegible] आराजी में प्रार्थीनी सोमी देवी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

232/1355 हिस्सा तथा शेष हिस्सा यानि 4/271 प्रहलादराम के नाम रहा उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुआ। राजस्व रेकर्ड ऑनलाईन करते समय तकनीकी त्रुटि के कारण प्रहलादराम व सोमी देवी का कुल हिस्सा 3/16 सही दर्ज कर दिया लेकिन इनके आपस में हिस्सा दर्ज करते समय सोमी देवी के 232/1355 की जगह 1/16 हिस्सा तथा प्रहलादराम के 4/271 की जगह 1/8 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि वास्तव में प्रहलादराम के 4/271 व सोमी देवी के 232/1355 हिस्सा दर्ज करना था जिसके दर्ज करने में तकनीकी त्रुटि के कारण प्रार्थीया व प्रहलाद के कब्जा एवं रेकर्ड में भिन्नता आ गई। अतः प्रार्थीया के नामान्तकरण अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थी तहसीलदार धोरीमन्ना से मौके की वर्तमान तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना के पत्रांक भू.अ./2025/1300 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा बिन्दुवार मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार धोरीमन्ना ने अपनी जांच रिपोर्ट व विगतवार जबाव में प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीया के मूल खसरा संख्या 999/814 की हिस्सा नामान्तकरण के अनुसार दुरस्त किये जाने से रकबा यथावत रहेगा तथा मौके अनुसार रेकर्ड में समानता होगी।
3. तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार मूल खसरे 999/814 में प्रार्थीया व प्रहलादराम का कुल हिस्सा सही दर्शाया गया है लेकिन आपसी हिस्से को रेकर्ड ऑनलाईन करते समय तकनीकी त्रुटि के कारण गलत दर्शाया गया है जिससे मौका रिपोर्ट अनुसार दुरस्त किये जाने से ऑनलाईन रेकर्ड व प्रार्थीया के वर्तमान कब्जा रेकर्ड में समानता रहेगी। अतः खसरा संख्या 999/814 को मौका रिपार्ट अनुसार हिस्सा दुरस्त करने पर रेकर्ड एवं मौका में समानता रहेगी इसलिए इसी अनुसार तरमीम/हिस्सा दुरस्ती हेतु सहमत है।

जिरह

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया के द्वारा अंतिम बहस की गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया की जिरह सुनी गई। जो कि संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः—

प्रार्थी	अप्रार्थी
प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा—131 136 पर बहस	
1. प्रार्थीया के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विप्रार्थी तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा बंनाई गई वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार हिस्सा दुरस्त कर तरमीम दुरस्त करने से वास्तविक कब्जे के अनुसार तरमीम हो जाने से मौके पर कोई विवाद नहीं रहेगा तथा हिस्सा दुरस्त करने से कुल रकबा यथावत रहेगा। इसलिए मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम/हिस्सा दुरस्त कर इसी अनुसार नक्शा ट्रैस व ऑनलाईन नक्शे में दुरस्ती का इन्द्राज किया जाने का आदेश फरमावें का निवेदन किया।	1. विप्रार्थी संख्या 1 जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 07.05.2025 के अनुसार दुरस्त करने में अनापती जाहिर करते हुए मौका रिपोर्ट के अनुसार हिस्सा दुरस्त कर तरमीम दुरस्ती हेतु उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

5. उक्त प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवाद तथ्य है कि राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते समय कुल हिस्सा सही दर्शाया गया है लेकिन आपसी हिस्से का गलत अंकन किया गया है जो कि तहसीलदार धोरीमना की मौका रिपार्ट दिनांक 07.05.2025 से साबित होता है। तहसीलदार धोरीमना की मौका रिपोर्ट अनुसार हिस्सा सही कर तरमीम दुरस्त करने का निवेदन किया गया है।

निष्कर्ष

6. इस प्रकार प्रकरण में **सर्वप्रथम** प्रार्थीया के खेत खसरा संख्या 999 / 814 में राजस्व कार्मिकों द्वारा राजस्व रेकर्ड को ऑनलाईन करते समय खसरा संख्या 999 / 814 का कुल हिस्सा सही दर्शाया गया है लेकिन आपसी हिस्से का गलत अंकन किया गया है जिससे तहसीलदार धोरीमना की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.05.2025 के अनुसार प्रार्थीया सोमी देवी का खसरा संख्या 999 / 814 में दर्ज हिस्सा 1 / 16 के स्थान पर 232 / 1355 तथा मुतवफी खातेदार प्रहलादराम पुत्र जीया राम का हिस्सा 1 / 8 की जगह *353 / 21680* कर तरमीम दुरूस्ती कर राजस्व रेकर्ड नक्शा दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 06 के निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा ग्राम गुणेशाणियों की ढाणी,पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना में अवस्थित प्रार्थीया का संयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 999 / 814 में प्रार्थीया सोमी देवी पत्नी सोनाराम का हिस्सा 1 / 16 की जगह 232 / 1355 तथा मुतवफी खातेदार प्रहलादराम पुत्र जीयाराम का हिस्सा 1 / 8 की जगह 353 / 21680 दुरस्त कर तरमीम दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 07.05.2025 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना • जिला-बाड़मेर • सत्यमेव जयते

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 27.05.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:28:53 IST
Reason: SelfAttested

27/5/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना